



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021/06 आश्विन, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग
(नि०-III)

अधिसूचना

शिमला-171002, 16 सितम्बर, 2021

संख्या: पी.ई.आर. (ए.पी.)-सी-ए (3)-4/2010-लूज़.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी.ई.आर. (ए.पी.)-सी-ए (3)-4/2010, तारीख

23 अक्टूबर, 2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबंध-क का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित), सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबंध-क में :-

(क) स्तम्भ संख्या: 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट प्राचलों (पैरामीटरों) पर आधारित मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रूपविधान, सांचे (टैम्पलेट) और मार्गदर्शक सिद्धान्तों वाली 85 अंकों की चालन/कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चालन/कौशल परीक्षा का संचालन करने वाली समिति की अध्यक्षता सम्बद्ध विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी/नामनिर्देशिती द्वारा की जाएगी और जिसमें सहायक अभियन्ता (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग-यान्त्रिक विंग), हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के संकर्म प्रबन्धक/चालक अनुदेशक/फोरमैन और मोटर यान निरीक्षक में से कम से कम दो तकनीकी कार्मिक सर्वदा इसमें सम्मिलित होंगे।”।

(ख) स्तम्भ संख्या: 15-क (IV) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट प्राचलों (पैरामीटरों) पर आधारित मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रूपविधान, सांचे (टैम्पलेट) और मार्गदर्शक सिद्धान्तों वाली 85 अंकों की चालन/कौशल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चालन/कौशल परीक्षा का संचालन करने वाली समिति की अध्यक्षता सम्बद्ध विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी/नामनिर्देशिती द्वारा की जाएगी और जिसमें सहायक अभियन्ता (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग-यान्त्रिक विंग), हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के संकर्म प्रबन्धक/चालक अनुदेशक/फोरमैन और मोटर यान निरीक्षक में से कम से कम दो तकनीकी कार्मिक सर्वदा इसमें सम्मिलित होंगे।”।

आदेश द्वारा,

प्रबोध सक्सेना
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)।

परिशिष्ट-I

मूल्यांकन प्राचल (पैरामीटर): 15 अंक

(i)	भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के लिए अधिप्रतिनिधित्व। {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.02 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे एक अंक अनुज्ञात किए जाएंगे (50x0.02=1)}	2 (दो)
(ii)	यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित	1 (एक)

(iii)	भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।	1 (एक)
(iv)	इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी सेवा में नहीं है।	1 (एक)
(v)	एन एस एस (कम से कम एक वर्ष)/एन सी सी में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	1 (एक)
(vi)	बी. पी. एल. कुटुम्ब या ₹ 40,000/- से कम (समस्त स्रोतों से) या जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, वाले कुटुम्ब।	2 (दो)
(vii)	विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल नारी	1 (एक)
(viii)	इकलौती पुत्री/अनाथ	1 (एक)
(ix)	सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल एक अंक)।	5 (पांच)

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-4/2010-Loose dated 16-09-2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

**PERSONNEL DEPARTMENT
(AP-III)**

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th September, 2021

No. Per (AP)-C-A (3)-4/2010-Loose.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Common Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified *vide* this Department Notification No. Per(AP)-C-A(3)-4/2010 dated 23rd October, 2017, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Common Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver, Class-III (Non-Gazetted) Common Recruitment and Promotion Rules, 2017:—

(a) For the existing provisions against Col. No. 15, the following shall be substituted, namely:—

“Selection for appointment to the post in the case of direct appointment shall be on the basis of driving/skill test of 85 marks format, template and guidelines to be notified by the State Government followed by evaluation based on the parameters as specified in Appendix-I attached to these rules. The Committee to conduct driving/skill test shall

be headed by a senior officer/nominee of the concerned department and invariably include atleast two technical personnel out of Assistant Engineer (HPPWD-Mechanical Wing), Works Manager/Driving Instructor/ Foreman of HRTC and Motor Vehicle Inspector.”

- (b) For existing provisions against column number-15-A(IV), the following shall be substituted, namely:—

“Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be on the basis of driving/skill test of 85 marks format, template and guidelines to be notified by the State Government followed by evaluation based on the parameters as specified in Appendix-I attached to these rules. The Committee to conduct driving/skill test shall be headed by a senior officer/nominee of the concerned department and invariably include atleast two technical personnel out of Assistant Engineer (HPPWD-Mechanical Wing), Works Manager/Driving Instructor/Foreman of HRTC and Motor Vehicle Inspector”.

By order,

Sd/-
PRABODH SAXENA,
Addl. Chief Secretary (Personnel).

APPENDIX-I

Evaluation parameters: 15 marks

(i)	Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.02. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1 mark (50x0.02=1)}	2 (two)
(ii)	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be.	1 (one)
(iii)	Landless family/family having land less than 1 hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.	1 (one)
(iv)	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service.	1 (one)
(v)	NSS (alleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal Winner in National Level sports competitions.	1 (one)
(vi)	BPL family having annual income (from all sources) below ₹ 40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time.	2 (two)
(vii)	Widow/divorced/destitute/single woman	1 (one)
(viii)	Single daughter/orphan	1 (one)
(ix)	Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (1 marks only for each completed year)	5 (five)



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 03 नवम्बर, 2017 / 12 कार्तिक, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

“मजबूत लोकतन्त्र – सबकी भागीदारी”

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

38-एस0डी0ए0 कॉम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171 009

अधिसूचना

दिनांक : 22 अक्टूबर, 2017

संख्या 3-2/2017-ई0एल0एन0-3963.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2017/रा0 दल अनु0-III, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 तदानुसार 26 आश्विन, 1939 (शक) जो कि निर्वाचन प्रतीक

कार्मिक विभाग
(नि०-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 23 अक्टूबर, 2017

संख्या: पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-4/2010.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में **चालक, वर्ग-III** (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न **उपाबन्ध-“क”** के अनुसार सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित), सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, विधान सभा सचिवालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिवाए हिमाचल प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या : पी0ई0आर0 (ए0पी0)-सी0 ए (3)-4/2010 तारीख 24 नवम्बर, 2010 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 नवम्बर, 2010 को प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) सामान्य सीधी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का एतद् द्वारा, निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
तरुण श्रीधर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)।

उपाबन्ध-“क”

हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन समस्त विभागों में चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—चालक
2. पद (पदों) की संख्या.—सरकार द्वारा समय-समय पर जितनी सम्बद्ध विभाग में मंजूर की गई है और मंजूर की जाए।
3. वर्गीकरण.—वर्ग-III (अराजपत्रित)
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड :- ₹ 5910-20200 + ₹ 2000 ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां :—स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 7910/—प्रतिमास।

5. पद “चयन” है या “अचयन”—अचयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हता(एं) :— (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवी पास हो।

(ii) पहाड़ी स्थानों पर हल्के/भारी वाहन चलाने का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारक हो।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).—हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.—आयु :— लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.—हां, जैसी नीचे स्तम्भ संख्या—11 के सामने विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—सीधी भर्ती.—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—(i) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमेंट आधार पर।

(ii) बीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.—(i) क्लीनर-एवं-परिचालक(कों)/हैल्पर(रों) में से प्रोन्नति द्वारा, जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास की अर्हता और पहाड़ी क्षेत्र में भारी/हल्केयानों को चलाने की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हों तथा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो:

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए क्लीनर-एवं-परिचालक(कों)/हैल्पर(रों) की संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना उनके सेवाकाल के आधार पर एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(ii) हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/बोर्डों/निगमों में इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमेंट आधार पर:

परन्तु चालक के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित पांच बिन्दु भर्ती रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:—

रोस्टर बिन्दु संख्या	प्रवर्ग
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा	सीधी भर्ती द्वारा
पांचवा	प्रोन्नति द्वारा

टिप्पण:— उपरोक्त भर्ती रोस्टर प्रत्येक पांचवें बिन्दु के पश्चात् दोहराया जाता रहेगा।

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम/दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यक्षीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती, स्थानान्तरण के सिवाय उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष की या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगी।

परन्तु यह और भी कि उस अधिकारी/कर्मचारी को, जिसने जनजातीय/कठिन/दुर्गम और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तुक (I) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।

3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. जिला कुल्लू का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में, उप तहसील कमरु के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में, करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाड़ा गुशैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिउणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण—III.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:—

- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान।
- (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
- (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

- (i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तदधीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् स्थाईकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा:—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन यान को चलाने के पाठ्यक्रम उसके रख-रखाव कौशल और मोटरयान अधिनियम आदि के अन्तर्गत लिखित परीक्षा, जिसका स्तर सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा, और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा अभ्यर्थियों के यान के चलाने और उसके रख-रखाव कौशल हेतु व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। व्यावहारिक परीक्षा हेतु विभागीय भर्ती समिति, नियुक्ति प्राधिकारी के नाम निर्देशिती(यों) के अतिरिक्त मोटर यान निरीक्षक, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (हि0प्र0लो0नि0वि0) और प्रबन्धक/फोरमैन, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में से, कम से कम दो व्यक्तियों से गठित होगी। व्यवहारिक परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी।

(I) संकल्पना.—(क) इस स्तम्भ/नियम के अधीन(विभाग का नाम) हिमाचल प्रदेश में चालक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

ख) सम्बद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् रिक्त पद (पदों) के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अर्हताएं रखने वाले और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) **संविदात्मक उपलब्धियां.**—संविदा के आधार पर नियुक्त चालक को ₹ 7910 की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 237/—(पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) **नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.**—सम्बद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) **चयन प्रक्रिया.**—संविदा नियुक्ति के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन यान को चलाने के पाठ्यक्रम उसके रख-रखाव कौशल और मोटरयान अधिनियम आदि के अन्तर्गत लिखित परीक्षा, जिसका स्तर सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा, और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा अभ्यर्थियों के यान के चलाने और उसके रख-रखाव कौशल हेतु व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। व्यावहारिक परीक्षा हेतु विभागीय भर्ती समिति, नियुक्ति प्राधिकारी के नाम निर्देशिती(यों) के अतिरिक्त मोटर यान निरीक्षक, सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (हि0प्र0लो0नि0वि0) और प्रबन्धक/फोरमैन, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में से, कम से कम दो व्यक्तियों से गठित होगी। व्यवहारिक परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।

(V) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.**—जैसा कि सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात् सम्बद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

(VI) **करार.**—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-"II" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) **निबन्धन और शर्तें.**—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 7910 की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 237/—की दर से (पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलेंडर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलेंडर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलेंडर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि अपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0 आर0 एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किये गये आदेशों के अधधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

परिशिष्ट-I

लिखित परीक्षा		
1.	{लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंको में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ लिखित परीक्षा में 50 % अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}।	85 अंक

2.	<p>अभ्यर्थी का मूल्ययांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:-</p> <p>(i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। 2.5 अंक</p> <p>{शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 % अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.25 अंक (50 x 0.025 = 1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे}</p> <p>(ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। 01 अंक</p> <p>(iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को संबद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। 01 अंक</p> <p>(iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। 01 अंक</p> <p>(v) चालीस प्रतिशत (40%) विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दव्यांगजन। 01 अंक</p> <p>(vi) एन एस एस (कम से कम एक वर्ष)/एन सी सी में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। 01 अंक</p> <p>(vii) ₹ 40,000/- से कम या सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित (समस्त स्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी पी एल कुटुम्ब। 02 अंक</p> <p>(viii) विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला। 01 अंक</p> <p>(ix) इकलौती पुत्री/अनाथ 01 अंक</p> <p>(x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से संबंधित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। 01 अंक</p> <p>(xii) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से संबंधित, अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल 0.05 अंक) 2.5 अंक</p>	15 अंक
----	--	--------

चालक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने चालक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार चालक के रूप में से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 7910 प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलेंडर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलेंडर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलेंडर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.

 (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.

 (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English Text of this Department Notification No.Per (AP)-C-A (3)-4/2010 dated 23-10-2017 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

**PERSONNEL DEPARTMENT
(AP-III)**

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23rd October, 2017

No. Per (AP)-C-A (3)-4/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Common Recruitment and

Promotion Rules for the post of **Driver, Class-III** (Non-Gazetted) in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:—

1. Short title, commencement and application.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Driver, Class-III (Non-Gazetted), Common Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Department of Himachal Pradesh, except Vidhan Sabha Secretariat, High Court of H.P. and Himachal Pradesh Public Service Commission.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Personnel, Driver Class-III(Non-Gazetted) Common Direct Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-4/2010, dated 24.11.2010, and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 27th November, 2010, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,
TARUN SHRIDHAR,
Addl. Chief Secretary (Personnel).

Annexure-A

**Common Recruitment and Promotion Rules for the post of Driver, Class-III (Non-Gazetted)
in all the Departments under Government of Himachal Pradesh**

- 1. Name of Post.**—Driver
- 2. Number of Post(s).**—As sanctioned and may be sanctioned by the Govt. from time to time in the Department concerned.
- 3. Classification.**—Class-III (Non-Gazetted).
- 4. Scale of Pay.**—(i) *Pay band for regular incumbent(s):*— Pay Band ₹5910- 20200+ ₹2000 Grade Pay.
(ii) *Emoluments for Contract Employee(s):*— ₹ 7910/- as per details given in Col. 15-A.
- 5. Whether “Selection” Post or “Non- Selection” Post.**—Non-Selection
- 6. Age for Direct recruitment.**—Between 18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note:—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—
(a) *ESSENTIAL QUALIFICATION (S)* :—(i) Matric from a recognized Board of School Education.

(ii) Must possess valid driving licence for plying of heavy/light vehicles in hilly terrain.

(b) *DESIRABLE QUALIFICATION (S)* :—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational Qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s).—Age:—Not Applicable.

Education Qualification:— Yes, as prescribed against Column No. 11 below.

9. Period of Probation, if any.—(i) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(ii) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 80% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.

(ii) 20% by promotion, failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion /secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—(i) By promotion from amongst the Cleaner-cum-Conductor(s)/Helper(s) possessing Matric qualification from recognized Board of School Education and valid driving licence for plying of heavy/light vehicles in hilly terrain with 05 (five) years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade:

Provided that for the purpose of promotion a combined seniority of Cleaner-cum-Conductor(s)/Helper(s) based on the length of service without disturbing their cadre-wise inter-seniority shall be prepared.

(ii) On secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales from other Himachal Pradesh Government Departments/Public Sector Undertakings/Boards/Corporations:

Provided that for filling up the posts of Driver the following 05 points recruitment roster shall be followed:—

Roster Point No.	Category
1 st 2 nd , 3 rd , & 4 th	Direct recruit
5 th	Promotee

Note:—The above recruitment roster shall repeat after every 05 points:

(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/ Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/ transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of promotion:

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I:—For the purpose of proviso (I) supra the “term” in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/ convenience.

Explanation II:—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III:—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:

- (i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.
- (ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
- (iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment & Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion/ Confirmation Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination covering the syllabus of driving, maintenance skill of vehicle and Motor Vehicle Act etc., the standard of which, will be determined by the concerned recruiting authority, followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules followed by practical test for driving and maintenance skill of the candidates. The Departmental Recruitment Committee for practical test shall comprise of at least two persons from amongst Motor Vehicle Inspector, Assistant Engineer (Mechanical), Himachal Pradesh Public Works Department (HPPWD) and Manager/ Foreman of HRTC in addition to the nominee(s) of appointing Authority. Passing of practical test shall be mandatory.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT:—(a) Under this column/rule the Driver in _____ (Name of the Department) H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed /extended.

(b) The HOD of the concerned Department after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading news papers and invite applications from candidates having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Driver appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹7910/-P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹237 (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:—The Head of Department of the concerned Department will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination covering the syllabus of driving, maintenance skill of vehicle and Motor Vehicle Act etc., the standard of which, will be determined by the concerned recruiting authority, followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, followed by practical test for driving and maintenance skill of the candidates. The Departmental Recruitment Committee for practical test shall comprise of at least two persons from amongst Motor Vehicle Inspector, Assistant Engineer (Mechanical), Himachal Pradesh Public Works Department (HPPWD) and Manager/ Foreman of HRTC in addition to the nominee(s) of appointing Authority. Passing of practical test shall be mandatory.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:—As may be constituted by the concerned recruiting authority i.e. Head of Department of the concerned Department from time to time.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Appendix-“II” appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹7910/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹237/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his /her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not Applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of persons or post(s).

APPENDIX-I

WRITTEN EXAMINATION		85 marks
{Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks}.		
Evaluation of candidate to be made in the following manner:—		15 marks
(i)	Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)}	
(ii)	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. =01 Mark	

(iii)	Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.	=01 Mark
(iv)	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service.	=01 Mark
(v)	Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity.	=01 Mark
(vi)	NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/ The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions.	=01 Mark
(vii)	BPL family having annual income (from all sources) below ₹40,000/-or as prescribed by the Govt. from time to time.	=02 Marks
(viii)	Widow/divorced/destitute/single woman.	=01 Mark
(ix)	Single daughter/Orphan	=01 Mark
(x)	Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution.	=01 Mark
(xi)	Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year)	=2.5 Marks

APPENDIX-"II"

Form of contract/agreement to be executed between the Driver and the Government of Himachal Pradesh through _____ (Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ Between Sh./Smt. _____ S/o/D/o Shri _____ R/o _____

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through _____ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Driver on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Driver for a period of one year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be `7910/-per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of woman candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate shall be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contract appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

.....

.....

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.

.....

.....

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
Vidyut Aayog Bhawan, Block No.37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171009
Tel No.0177-2627978, 2621003 Fax.No.0177-2627162
E-mail: hperc@rediffmail.com Website: http://www.hperc.org

NOTIFICATION

Date : 27th October, 2017

No. HPERC/52 of 2001- In exercise of power conferred under Section 27 of the Energy Conservation Act, 2001, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby appoints Sh. Bhanu Pratap Singh, Member, HPERC as an Adjudicating Officer for the purposes of Adjudication under Section 26 of the Energy Conservation Act, 2001.

By order of the Commission
 CHAMAN DILTA,
Secretary.